भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1987

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए एफसीआरओ में संशोधन

1987. श्री टी. रतिनावेल

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) को संशोधित करने की विवेकपूर्ण पहल जिसपर ध्यान नहीं दिया गया, उसके दो उद्देश्य प्रतीत हैं, पहला 10,000 करोड़ की उस अनुमानित राशि को खोलना जो कारपोरेट घराने भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर खर्च करना चाहते हैं तथा दूसरा अभी तक विदेशी कंपनियों के रूप में वर्गीकृत कंपनियों से दान प्राप्त करने के लिए राजनितिक दलों के विधिक मार्ग प्रशस्त करना; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त संशोधन से अनेक राष्ट्रीय दलों को लाभ मिलेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत भारतीय कंपनियों के संबंध में विदेशी स्रोतों की परिभाषा के बारे में विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) ,कंपनी अधिनियम, 2013 और भारत सरकार की एफडीआई नीति के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सरकार ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू की है। इस संशोधन से भारतीय कंपनियों के लिए एफसीआए, 2010 के तहत अनुमति लिए बगैर कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित सीएसआर गतिविधियों के संबंध में अपने शुद्ध लाभ का भाग खर्च करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इस प्रक्रिया में सबंधित स्टेकहोल्डरों से विधिवत परामर्श किया गया है और उक्त संशोधन सार्वजनिक भी किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य केवल सीएसआर गतिविधियों को सुकर बनाने तक सीमित नहीं होगा, अपितु यह सामान्य गतिविधियों पर भी लागू होगा।